In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst Assistant Technical Officers with five years regular services in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix and have successfully completed four weeks mandatory training in Current Good Manufacturing Practices facility of the Institute under the supervision of Group A officer of the Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** i) Additional Director General or Deputy Director General, Directorate General of Health Services -Chairman ii) Director, Central Research Institute, Kasauli -Member iii) Assistant Director General, Directorate General of Health Services -Member iv) Director/Deputy Director (Admin.), Directorate General of Health Services -Member	Not necessary.

[F. No.- A.12018/01/2012-EPI]
G. K. PILLAI,Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.353.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन) (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

(1) ये नियम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन) (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2019 कहे जाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 10 (56,100 -1,77,500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरीं जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600 रुपए – 1,51,100 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में मूल काडर /विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 रुपए – 1,42,400 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में मूल काडर /विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रुपए – 1,12,400 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में मूल काडर /विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात:- अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, तथा (ii) रासायनिक उपकरणों की डिजाइनिंग में तीन वर्ष का प्रयोगिक अनुभव। **वांछनीय:** 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अथवा संस्थान से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री, 2 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव, तथा 3 शर्करा मशीनरी डिजाइन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की जो अवधि है	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति के लिए नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/4/2015-एसए]

धीरेंद्र कुमार,उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 20th November, 2019

G.S.R.353.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Senior Scientific Officer (Design) (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Officer (Design) in the National Sugar Institute, Kanpur; under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur Senior Scientific Officer (Design) (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Scientific Officer (Design).	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<u>Deputation (including short term contract):</u> Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised institutions or autonomous bodies or statutory organisations,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under :- Essential: (i) Bachelor degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute, and (ii) three years' practical experience in designing chemical equipments. **Desirable:** (i) Master's degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute; (ii) two years' teaching experience in relevant field from a recognised University or Institute; and (iii) one year's experience in sugar machinery design. **Note 1:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary

[F.No.A-12018/4/2015-SA]

DHIRENDRA KUMAR, Dy. Secy.